फा. सं. 17/146/2011-सीए-V

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

5वां तल, 'ए' विंग, शास्त्री भवन,
डॉ. राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली
दिनांक: 12.05.2011

सेवा में,

सभी प्रादेशिक निदेशक,
सभी कंपनी रजिस्ट्रार/शासकीय समापक
स्टेकहोल्डर

विषय: कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का अनुपालन।

महोदय,

कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए यह देखा गया है कि अधिकांश कंपनियां अपनी घटना आधारित सूचना केवल एमसीए-21 के माध्यम से कंपनी रजिस्ट्रारों को दाखिल कर रही है, तथापि, वार्षिक फाइलिंग से संबंधित सांविधिक अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अत: यह निर्णय लिया गया है कि जिन कंपनियों ने कंपनी रजिस्ट्रारों को अपनी सांविधिक वार्षिक रिपोर्टें (अर्थात् तुलन-पत्र, लाभ-हानि लेखा तथा वार्षिक रिपोर्टें) दाखिल नहीं की है, उन्हें निम्नलिखित फार्मों के अलावा अपने अन्य फार्म तब तक दाखिल करने की अनुमति न दी जाए जब तक कि वे कंपनियां अपनी अद्यतन सांविधिक वार्षिक लेखा/वार्षिक रिपोर्ट एमसीए-21 प्रणाली में दाखिल न करा दें:-

फार्म	**विषय**
<u>फार्म 32</u>	प्रबंध निदेशक, निदेशक, प्रबंधक तथा सचिव की नियुक्ति के विवरण और उनके बीच परिवर्तन का विवरण अथवा प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति द्वारा दी गई सहमति तथा/अथवा अर्हता प्राप्त शेयरों को लेने

	और उनके लिए भुगतान करने का वचन। [कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 303(2), 264(2) अथवा 266(1) (क) तथा 266(1) (ख) (iii) के अनुसरण में]
फार्म 20 ख	शेयर पूंजी वाली कंपनी द्वारा रजिस्ट्रार के पास वार्षिक विवरणी दर्ज करने हेतु प्रपत्र। [कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 156 के अनुसरण में]
फार्म 21क	उस कंपनी की वार्षिक विवरणी का ब्यौरा जिसके पास शेयर पूंजी नहीं है। [कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 160 के अनुसरण में]
फार्म डिन-3	कंपनी द्वारा रजिस्ट्रार के पास निदेशक पहचान संख्या की सूचना प्रदान करना।
फार्म 21	न्यायालय अथवा कंपनी विधि बोर्ड के आदेश का नोटिस। [कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 17(1), 17क, 79, 81(2), 81(4), 94क (2), 102(1), 107(3), 11(5), 141, 155, 167, 186, 391(2), 394(1), 396, 397, 398, 445, 466, 481, 559 तथा 621क के अनुसरण में]
फार्म 1कक	धारा 5 के खंड (च) या (छ) के प्रयोजनार्थ परिवर्तित या विनिर्दिष्ट व्यक्तियों अथवा निदेशकों के विवरण । [कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 5(छ) के अनुसरण में]
फार्म 62	कंपनी रजिस्ट्रार को दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु प्रपत्र । [कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 44, 60, 77क, 488, 497, 509, 516, 551 एवं 555 कंपनी (न्यायालय) नियम, 1959 के नियम 313, 315, 327, 331, 335 के और कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 1975 नियम 10 के अनुसरण में]
फार्म 23कग एवं 23कगक	रजिस्ट्रार के पास तुलन-पत्र तथा लाभ एवं हानि लेखाओं एवं अन्य दस्तावेजों को दर्ज करने हेतु प्रपत्र । [कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 220 के अनुसरण में]
	आईईपीएफ में धन जमा करने हेतु प्रपत्र ।
	लागत एवं लेखा शाखा से संबंधित प्रपत्र ।

2. इसके अतिरिक्त यह देखा जाए कि:

क) इन कंपनियों के निदेशकों को एमसीए-21 प्रणाली में दाखिल करने के लिए किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने की अनुमति नहीं होगी।

ख) इन कंपनियों के कंपनी सचिवों और लेखापरीक्षकों को भी एमसीए-21 प्रणाली में फाइलिंग पर हस्ताक्षर तथा प्रमाणित करने की अनुमति नहीं होगी।

ग) रिजर्व बैंक और सेबी के साथ समन्वय में दोषी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए।

2. सचिव, एमसीए ने सभी संबंधित अधिकारियों और हितधारकों से टिप्पणी/सिफारिशों को आमंत्रित करने के लिए कहा है और आपसे दिनांक 25.05.2011 तक उपरोक्त विषय पर टिप्पणी देने का अनुरोध है, ताकि इस प्रकार की कंपनियों को उपरोक्त के अलावा अन्य सभी फर्मों की फाइलिंग प्रतिबंधित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था की जा सके। टिप्पणियां/सिफारिशें **rakesh.chandra@mca.gov.in** को भेजी जाएं।

4. यह पत्र सचिव, एमसीए के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

ह/-

जे. एन. टिक्कू

संयुक्त निदेशक

011 - 2338 1295